चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की १३१वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक १६.०४.२००७
सभास्थल - कुलपति का सभाकक्ष
समयः ११:३० पूर्वान्ह

उपस्थिति :-

१.	**प्रो० (डा०) वी०के० सूरी,** कुलपति	अध्यक्ष
२.	**डा० मसऊद अली,** निदेशक भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	सदस्य
३.	**डा० रमेश यादव,** उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
४.	**श्री जे०एस० मिश्र, आई०ए०एस०,** प्रमुखसचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ	सदस्य
५.	**श्री बी०आर० सिंह,** अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल	सदस्य/ प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
६.	**श्री संत बी०एस० यादव,** ७६ खत्राना, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद	सदस्य
७.	**श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह चन्देल,** १३३/१७२ पी, ट्रान्सपोर्ट नगर, सेन्ट्रल बैंक के सामने, कानपुर नगर - २०८ ०२३	सदस्य
८.	**श्री जय सिंह यादव,** सदस्य विधान परिषद, ६२ रायराम चरनदास रोड, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	सदस्य
९.	**डा० एस०एस० यादव,** ग्रा०-टोडरपुर, पो०-खेताबपुर, वाया-जखनिया, जिला-गाजीपुर	सदस्य
१०.	**श्रीमती उर्मिला राजपूत,** पूर्व विधायक, पल्ला-गल्ला मंडी, फर्रूखाबाद	सदस्य
११.	**डा० वीर सिंह,** उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य/निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि
१२.	**डा० आर०के० दीक्षित,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

मद संख्या १: **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक २२.१२.२००६ को सम्पन्न हुई १३०वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।**

प्रबन्ध मण्डल ने १३०वीं बैठक दिनॉक २२.१२.२००६ की कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि किया।

मद संख्या २: **चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।**

प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक दिनॉक २२.१२.२००६ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रबन्ध मण्डल ने संतुष्टि व्यक्त किया।

कृत कार्यवाही के अन्य निर्देश बिन्दु-१ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देशित किया कि कुलपति महोदय डा० एम०एम० अग्रवाल प्रोफेसर, मृदा अणु जैविक विद् के दिनांक १३.४.०७ के प्रत्यावेदन जो अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल को सम्बोधित है तथा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को बैठक में उपलब्ध कराया गया है के सम्बन्ध में विचार कर लें तथा विचारोपरान्त अपनी सुविचारित आख्या प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

कृत कार्यवाही के अन्य निर्देश बिन्दु-६ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने बीज उत्पादन श्वेत-पत्र को स्वीकार नही किया तथा श्वेत-पत्र पर चिंता व्यक्त किया। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय की बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के सम्बन्ध में एक पत्र भूमि सुधार निगम को लिख दिया जाय तथा प्रतिलिपि शासन को प्रेषित की जाय तथा ११वीं पंचवर्षीय योजना में बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाय। इस पर प्रबन्ध मण्डल ने सहमति व्यक्त की।

कृत कार्यवाही के अन्य निर्देश बिन्दु-८ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देशित किया कि एक तीन सदस्यीय समिति यथा-श्रीमती उर्मिला राजपूत, सदस्य प्रबन्ध मण्डल, अर्थ नियन्त्रक एवं डा० के०डी० उपाध्याय, प्राध्यापक की समिति गठित कर काटे गये पौधों के बारे में जॉच करा ली जाय। समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

कृत कार्यवाही के अन्य निर्देश बिन्दु-१० के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देशित किया कि कृषि विज्ञान केन्द्र में नियमित नियुक्ति होने तक कृषि ज्ञान केन्द्र के स्टाफ से अग्रिम आदेशों तक कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्य लिया जाय।

कृत कार्यवाही के अन्य निर्देश बिन्दु-१२ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देशित किया कि शासकीय अधिवक्ता/एडवोकेट जनरल से विधिक राय प्राप्त करने हेतु एक रिमाइन्डर/प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

कृत कार्यवाही के अन्य निर्देश बिन्दु-१६ के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल ने निर्देशित किया कि गठित समिति की सूचना प्रबन्ध मण्डल के समस्त सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाय।

मद संख्या ३: **प्रसार निदेशालय के सुदृढीकरण हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा १४०० वर्ग मी० क्षेत्रफल पर कृषक छात्रावास हेतु रु० १२८.६८ लाख की स्वीकृति एवं निर्माण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ४: **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि से सविता समाज के १०० छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु स्थान का चुनाव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ५: **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजना (अण्डी) (AICRP, Castor improvement Research Project) को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ६: **विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा "Basic and molecular characterization of tospoviruses infecting vegetables, pulses and cucurbits" शीर्षक परियोजना के विश्वविद्यालय में संचालन के अनुमोदन के संदर्भ में।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ७: **राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा "Up-liftment of socio-economic status of rural population through development of quality materials, modern agro-techniques and post harvest management of Medicinal and Aromatic Plants" शीर्षक परियोजना के विश्वविद्यालय में संचालन के अनुमोदन के संदर्भ में।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या ८: **शासनादेश संख्या-८३७/१२-८-२००२-३०(२२)/६४ दिनॉक ७.८.२००२ के क्रियान्वयन हेतु प्रबन्ध मण्डल की ११७वीं बैठक दिनॉक २५.२.२००२ द्वारा शिक्षक घोषित होने के उपरान्त ४७ याचीगणों को कनिष्ठ वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक का वेतनमान रु० २२००- ४००० पुनरीक्षित वेतनमान रु० ८०००-१३५०० दिनॉक २८.८.२००२ से अनुमन्य करने के कम में शासनादेश संख्या-७२६/६७- कृ०शि०अ०-०५-३०(२२)/६४ दिनॉक २०.१०.०५ के संदर्भ में ४७ याचीगणों को शिक्षक घोषित करने एवं उल्लिखित पदों का वेतनमान दिनॉक ८.१.२००१ से अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया। साथ ही समस्त शोध सहायको का विवरण सहित प्रकरण शासन को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल ने बताया कि प्रकरण पूर्व में शासन को संदर्भित किया जा चुका है।

मद संख्या ९: **याचिका संख्या-११३१(एय/एय)/०१ के निर्णय दिनॉक १०.१२.०३ के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या-१५१५/ ६७-कृ०शि०अ०-०५-३०(२२)/६४ दिनॉक १५.०६.०५ के कम में विद्वत परिषद की ९७वीं बैठक दिनॉक ११.०१.०७ की मद संख्या-१५८७ में लिए गये निर्णय के संदर्भ में गठित समिति द्वारा (मा० प्रबन्ध मण्डल की ११७वीं बैठक के निर्णयानुसार) अर्ह पाये गये याचीगणों को नियमानुसार शिक्षक घोषित किये जाने का प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया। तथा निर्देश दिया कि चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त ही आदेश निर्गत किये जाय।

मद संख्या १०: **विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में कार्यरत श्री भागीलाल, अर्दली द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया। प्रबन्ध मण्डल ने भविष्य में अवकाश स्वीकृत करने के अधिकार कुलपति महोदय में निहित होने सम्बन्धी एक प्रस्ताव प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या ११: **विश्वविद्यालय के भूमि संरक्षण एवं जल प्रबन्ध विभाग में कार्यरत श्री अनिल कुमार अग्रवाल, कनिष्ठ लिपिक द्वारा उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।

मद संख्या १२: **श्री उजागर लाल को इलेक्ट्रीशिन के पद से ट्यूबवेल मैकेनिक के पद पर स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप प्रकरण को श्री लाल द्वारा मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन अवधि दिनांक २४.७.२००४ से १२.१२.२००४ तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया।

मद संख्या १३: **श्री एम०पी०एस० सेंगर, सहायक प्राध्यापक, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग को उनके द्वारा दिनांक ०२.०३.२००६ से ३१.०७.२००६ तक (१५२ दिन) का चिकित्सकीय अवकाश उपभोग किये जाने के उपरान्त अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया।

मद संख्या १४: **डा० विजेन्द्र सिंह, सहायक अभिजनक/सहायक प्राध्यापक, शाक-भाजी का धारणाधिकार दिनॉक २८.८.२००३ से २७.८.०५ (दो वर्ष) की समाप्ति पर तथा मा० प्रबन्ध मण्डल की १२६वीं बैठक दिनॉक ११.०८.२००६ में लिए गये निर्णय के अनुसार दो माह का समय देते हुए नोटिस दिये जाने पर भी अपने मूल पद पर कार्यभार न ग्रहण किये जाने पर उक्त पद से सेवा समाप्त किये जाने पर विचार हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने डा० विजेन्द्र सिंह की सेवा समाप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

मद संख्या १५: **कुलपति महोदय द्वारा प्रोन्नति सम्बन्धी गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्री आर० एन० गोयल, को सहायक अभियन्ता से विश्वविद्यालय अभियन्ता के रिक्त पद पर की गयी प्रोन्नति को मा० प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अनुमोदित किया।

मद संख्या १६: **श्री महेन्द्र सिंह, सह प्रशिक्षक (प्रसार), कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीगढ का दिनॉक १२.५.०७ से ११.५.०८ तक का और अतिरिक्त धारणाधिकार सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया तथा आदेश दिया कि एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त कर दी जाय।

मद संख्या १७: **श्री अनिल कुमार साहू, सह प्राध्यापक, सिविल इंजी०, बाबा साहब डा० बी०आर० अम्बेडकर कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा को २ वर्ष का धारणाधिकार दिये जाने के बाद एक वर्ष का और धारणाधिकार बढाने के उपरान्त भी धारणाधिकार अवधि समाप्त हो जाने पर कार्यभार न ग्रहण करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने एक महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त किये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या १८: **प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक दिनांक २२.१२.२००६ में दिये गये निर्देश बिन्दु-११ के अनुपालन में डा० वी०एस० वर्मा का अधिष्ठाता, छात्र कल्याण पद से स्वीकार किये गये त्याग-पत्र के औपचारिक अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया।

मद संख्या १९: **१३ शिक्षकों/वैज्ञानिकों की दिनॉक २२.१.९७ से ८.१२.९८ तक की अवधि की सेवा निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में प्रबन्ध मण्डल की १३०वीं बैठक दिनॉक २२.१२.२००६ में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव इन शर्तों के साथ अनुमोदित किया कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों से कुलपति इस आशय का Affidavit/ Undertaking प्राप्त करेंगे कि दिनॉक २१.१.९७ से ८.१२.९८ तक यह शिक्षक कहॉं थे, कहीं Job में थे अथवा नही, इस अवधि का वेतन एवं वेतनवृद्धि नही मांगेंगे तथा कोई वित्तीय लाभ अनुमन्य नही होंगे। यह केवल सैद्धान्तिक निरंतरता होगी।

मद संख्या २०: **कृषि अभियंत्रण संकाय इटावा में संविदा (अनुबन्ध) पर कार्यरत फैकल्टी कन्सलटेन्ट को दी जाने वाली नियत धनराशि रू० ८०००/- से रू० १००००/- प्रतिमाह बढाये जाने संबंधी प्रस्ताव।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २१: **गृह विज्ञान संकाय में संविदा पर कार्यरत अध्यापिकाओं को प्रदान नियत वेतन धनराशि रु० ६०००/- से रु० ८०००/- बढाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। कृषि अभियंत्रण संकाय इटावा में संविदा (अनुबन्ध) पर कार्यरत फैकल्टी कन्सलटेन्ट को दी जाने वाली नियत धनराशि रू० ८०००/- से रू० १००००/- प्रतिमाह बढाये जाने संबंधी प्रस्ताव।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २२: **डा० (श्रीमती) रितु पान्डेय को गृह विज्ञान विभाग के रिक्त सहायक प्राध्यापक (वस्त्र एवं परिधान) वेतनमान ८०००-१३५०० के अधिसूचना दिनांक ५ अप्रैल २००६ की धारा २६ (क) के प्रविधानुसार नियमित किये जाने के सम्बन्ध में विचार हेतु प्रस्ताव।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २३: **उ०प्र० सरकार द्वारा प्रकाशित अधारण "सरकारी गजट" के उल्लिखित अधिसूचना सं० ३६१/सात-वि०-१-०१(क)-१३- २००६ दिनांक ५.४.०६ के २६(क) के प्राविधानुसार डा० (श्रीमती) मीरा श्रीवास्तव व अन्य रिसर्च एसोशियट को जिन पदो के विरूद्ध प्लान की परियोजनाओं में नियत वेतन रू० १२०००/-प्रति माह पर कार्य कर रहें है। उन्ही पदो पर नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २४: **चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा संस्तुति यू०जी०सी० वेतनमानरू० ५००-६०० के पुनरीक्षित वेतनमान रू० १७४० -३००० से वंचित शोध संवर्ग के समकक्षीय पदों पर नियुक्त को दिनांक १.१.८६ से अथवा नियुक्ति की दिनांक जो भी बाद में हो, से महामहिम कुलाधिपति के पत्र दिनांक ३०.५.२००६ के क्रम में पुनरीक्षित वेतनमान रू० १७४०-३००० की अनुमन्यता पर विचार का प्रस्ताव।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २५: **विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-८ (ए) में विश्वविद्यालय के जिन पदधारियों को अधिकारियों एवं प्राधिकारियों (Officers & authorites of the University) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है उनमें अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, अधिष्ठाता संकाय, निदेशक कृषि प्रयोग केन्द्र एवं निदेशक प्रसार (यू०जी०सी० वेतनमान) भी सम्मिलित किये गये हैं, को शिक्षक/वैज्ञानिक की श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २६: **गृह विज्ञान संकाय की पी-एच०डी० छात्राओं को फैलोशिप स्वीकृत करने पर विचार।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २७: **संयुक्त प्रवेश परीक्षा - २००७ में देय पारिश्रमिक/ मानदेयों की वृद्धि पर विचार।**

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २८: **वानिकी संकाय (College of Forestry) सत्र २००७-०८ से प्रारम्भ करने के संबंध में विचार।**

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या २९: उद्यान विज्ञान संकाय (College of Horticuture) सत्र २००७-०८ से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या ३०: तिलहन शोध प्रक्षेत्र एवं नवीन दुग्धशाला प्रक्षेत्र कल्यानपुर, कानपुर की भूमि सडक चौडी करने हेतु आवास विकास, कानपुर को उपलब्ध कराने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या ३१: अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं छात्रावासों के वार्डेन को उपलब्ध कराई गई अनुमन्य सुविधाओं के समान सह अधिष्ठाता/सहायक अधिष्ठाता छात्र कल्याण के पद पर कार्यरत व्यक्ति को भी सुविधायें अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।

चुनाव आचार संहिता के कारण प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या ३२: प्रगति आख्या (जनवरी २००७ से मार्च २००७ तक)

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मद संख्या ३३: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार।

कोई प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत नही किया गया।

अंत में बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

{प्रो० (डा०) वी०के० सूरी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{आर०के० दीक्षित}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल